अध्याय–11

सतर्कता

इस्पात मंत्रालय

इस मंत्रालय की सतर्कता के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जो संयुक्त सचिव स्तर के हैं और इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह से की गई है। मुख्य सतर्कता अधिकारी एक निदेश और एक अवर सचिव तथा सहायक कर्मचारियों के साथ मंत्रालय के सतर्कता ढांचे के केन्द्र के रूप में कार्य करता है। सतर्कता इकाई अन्य बातों के साथ–साथ इस्पात मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के संबंध में निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है :–

(i) अनाचार/प्रलोभन संभावित संवेदनशील क्षेत्र अभिज्ञात करना और सरकार के कार्य में ईमानदारी/दक्षता सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करना।
(ii) भ्रष्टाचार–रोधी उपायों के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित कार्रवाई करना।
(iii) शिकायतों की संवीक्षा और उचित जांच उपाय शुरू करना।
(iv) निरीक्षण और इनसे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई।
(v) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच रिपोर्टों के संबंध में मंत्रालय की टिप्पणियां केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत करना।
(vi) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर विभागीय कार्यवाही के संबंध में उचित अथवा अन्यथा कार्रवाई करना।
(vii) जहां आवश्यक हो केन्द्रीय सतर्कता आयोग से पहले और दूसरे चरण की सलाह लेना।
(viii) जहां आवश्यक हो, दंड की प्रकृति और मात्रा के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से सलाह लेना।
(ix) केन्द्रीय सतर्कता आयोग और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त करना।
(x) इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों/अधिकारियों के निरूद्ध आरोपों के संबंध में उचित कार्रवाई के लिए शिकायतों की जांच करना।

सरकारी क्षेत्र के 11 उपक्रम इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में सभी उपक्रमों में सतर्कता इकाई का अध्यक्ष केन्द्रीय सतर्कता आयोग और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से इस मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया मुख्य सर्तकता अधिकारी है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

वर्ष के दौरान सतर्कता प्रशासन के लिए एक व्यवस्था केन्द्रित रवैया अपनाया गया। जिसके अंतर्गत कमियों को दूर करने और अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए अध्ययन और सुधार पर विशेष ज़ोर दिया गया। अध्ययन और चर्चा के बाद 20 क्षेत्रों में उपयुक्त व्यवस्था गठित की गई। संयंत्रों/इकाइयों में प्रत्येक तीन माह में बचाव सतर्कता पर सेमिनार आयोजित किए गए। जिसने सतर्कता के डर को डिमिस्टीफाई करने और लाइन मैनेजर्स के नैतिक बल बढ़ाने में मदद पहुँचाई।

अधिप्राप्ति/वस्तु बिक्री/सेवाओं के लिए नोटिस बोर्ड टेंडर खोले गए और इशू किए गए तथा कम्पनी के कांटैक्ट्स को वेबसाइट पर डाउनलोडिंग के प्रावधान सहित पर ले आया गया है। इससे उपभोक्ता/विक्रेता को प्रस्तावों को जमा कराने की सुविधा मिली है और अधिकाधिक प्रतियोगिता के कारण वित्तीय लाभों के साथ अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने का लाभ मिला है। वर्ष के दौरान संबंधित निर्देशों से सतर्कता मैनुअल को अपडेट किया गया है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम स्टील प्लांट)

विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में सतर्कता एक प्रभावी प्रबंधन साधन के रूप में बचावकारी सतर्कता पर जोर देते हुए रहा है। बचावकारी सतर्कता पहलू में ज्यादा जोर निविदाओं की जांच–पड़ताल की अवस्था में रखा जाता है, इस दृष्टिकोण के साथ की कुछ प्रतिबंधित निविदा शर्तों को वर्धित कर प्रतियोगिता बढ़ाई जाए। सक्रिय सतर्कता कार्य अनुमान, पुरस्कार और अनुबंधों का क्रियान्वयन जो परिचालन से संबंधित है, अनुरक्षण, आदान और बाजार और प्रबंधन में किया गया। यह सर्तकता विभाग के सकारात्मक रूख को दर्शाता है।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

वर्ष के दौरान एनएमडीसी अनुशासनिक मामलों की प्रगति के अनुवीक्षण के लिए निर्देशक (उत्पादन) की अध्यक्षता में एक सतर्कता समिति का गठन किया गया है। अधिकारियों, विक्रेताओं, उपभोक्ताओं और सामान्यजन की शिकायतों पर संबंधित अथॉरिटी द्वारा समय से ध्यान दिलाने के लिए चीफ सतर्कता आफ़िसर एनएमडीसी को 'नोडल अथॉरिटीज' के रूप में नामित किया गया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंग के रूप में हेड ऑफिस में एक 'वेंडर्स एंड कॉंट्रेक्टर्स मीट' का आयोजन किया गया। मीट के दौरान जो सुझाव मिले उनके क्रियान्वयन के लिए जहां संभव हो प्रयास किए जा रहे हैं।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड

वर्ष 2004–05 के लिए एक वार्षिक एक्शन योजना सतर्कता गतिविधियों के लिए तैयार की गइ। तीन संवेदनशील क्षेत्र निम्नलिखित हैं :–

(अ) अनुबंधों का अनुरक्षण

(ब) इंडेन्ट्स और अधिशेष स्टोर्स का प्रेषण/मेटेरियल/स्क्रैप

(स) विभिन्न वस्तुओं और मालों की अनुमति ओर अग्रसारित करना, उनकी पहचान की गई और सघन सूक्ष्म परीक्षा के लिए उठाए गए, औचक जांच और निरीक्षण किए गए। औचक जांच, नियमित निरीक्षण और वर्तमान निविदा पद्धति की सूक्ष्म जांच, अनुबंधों, आदान, निरीक्षणों आदि पर आधारित सुझाव और सिफारिश विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरी के लिए दिए गए हैं।

सीवीसी के अनुदेशों और निर्देशों के अनुरूप, सूचना प्रौद्योगिकी का ई–आदान, निविदाएं, व्यावसायिक गतिविधियों आदि में शीघ्रता से लागू कर दिया गया। कच्चा माल उपभोग्य वस्तुएं जैसे रसायनों को इ–आदान/रिवर्स एक्शन विधि माल, उत्पादों, सेवाओं आदि के लिए सभी निविदाएं कम्पनी के वेबसाइट पर रखी जाती हैं। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त समाचार पत्रों में व्यापक पहुंच ओर ज्यादा पारदर्शिता के कारण निविदाएं दी जाती हैं।

वर्ष के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुरूप, एक ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' नवंबर 2004 के प्रथम सप्ताह में मनाया गयां कस्टमर/वेंडर/स्टॉक होल्डरों की बैठक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित की गई, जहां केआईओसीएल के अधिकारियों ने कुछ सप्लायरों/वेंडरों के साथ बातचीत की। कार्यशालाओं/सेमिनारों का भी संचालन किया गया।

डीसीएमएमआईएस पैकेज का अनुभाषनात्मक मामलों में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। लोक उद्यमों के सीवीओ की समीक्षा बैठक इस्पात मंत्रालय के तत्वाधान में इस्पात सचिव की अध्यक्षता में 21.06.2004 को हुई, जिसमें अनुशासनात्मक मामले की देखरेख और प्रबंधन सूचना पद्धति को, लोक उद्यमों के सतर्कता कार्य के विस्तृत समीक्षा के अतिरिक्त प्रदर्शित किया गया।

54 नियमित अंतराल पर और 52 औचक निरीक्षण का संचालन किया गया। वार्षिक सम्पत्ति रिटर्न (2003–04) सभी कार्यकारियों से प्राप्त किया गया है। इसमें से 20 प्रतिशत की सूक्ष्म जांच (110 अचानक) जो सीवीसी के निर्देशों के अनुरूप पूरा कर लिया गया।